रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 210] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 31 1973/भाद्र 9, 1895
No. 210] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 31, 1973/BHADRA 9, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF AGRICULTURE
(Department of Food)

ORDER

New Delhi, the 31st August 1973

G.S.R. 403(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (1) of clause 4-B of the Vegetable Oil Products Control Order 1947, the Vegetable Oil Products Controller for India hereby makes the following order further to amend the order of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Food) No. G.S.R. 466(E) dated the 24th November, 1972, namely:—

In the said Order, after the Table, the following proviso shall be added at the end, namely:—

"Provided that, in the case of vegetable oil product manufactured by any producer in the Northern region during the two-month period September-October, 1973, the limit of usage of mustard oil or rapeseed oil, or both, shall be 25 per cent by weight of vegetable oil product."

[No. F. 9-VP(1)/73.]

S. V. SAMPATH,

Vegetable Oil Products Controller of India.

कृषि मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 1973

सा० का० नि० 403(अ०).—वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रण आदेश, 1947 के खण्ड 4-ख के उपखंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रक, भारत सरकार के कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) के आदेश सं० सा० का० नि० 466(ई) तारीख 24 नवम्बर, 1972 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश देते हैं, अर्थात् :—

उक्त आदेश में, सारणी के पश्चात्, अन्त में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु सितम्बर-अक्तूबर 1973 के दो मास की अवधि के दौरान उत्तरी क्षेत्र में किसी उत्पादक द्वारा विनिर्मित वनस्पति तेल उत्पाद की दशा में सरसों के तेल या रेपसीड के तेल या दोनों के प्रयोग की सीमा वनस्पति तेल उत्पाद के भार के आधार पर 25 प्रतिशत होगी ।"

[सं० 9-वीपी०(1)/73]

एस० बी० सम्पथ,

भारत के वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रक ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973